UPSI040519162022

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट–प्रथम, सीतापुर।

सी आई एस नम्बर–6584 / 22

उ0 प्र0 राज्य बनाम बाबू राम आदि

<u>निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र</u>

दिनॉक–01–11–2022

अभियुक्तगण गुरूदीन, महेश, अनिल, मन्ना उर्फ मुन्ना, श्याम लाल, करन तथा सूरज की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–66 / 2021, धारा–147, 323, 504, 506 भा0 दं0 सं0, थाना–तालगॉव, जिला–सीतापुर के अन्तर्गत प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र पर सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

उपरोक्त मुकदमा में अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है।

अभियुक्तगण आज दिनॉक–01–11–2022 को जरिए अधिवक्ता समक्ष न्यायालय उपस्थित आकर आत्म समपर्ण प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया तथा उन्हें जमानत इस आधार पर दिए जाने की याचना की गयी कि अभियुक्तगण को चुनावी रंजिश के कारण प्रधान के दबाव में झूॅठा फॅसाया गया है। जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन द्वारा जमानत का विरोध किया गया है।

मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः अभियुक्तगण गुरूदीन, महेश, अनिल, मन्ना उर्फ मुन्ना, श्याम लाल, करन तथा सूरज की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–66 / 2021, धारा–147, 323, 504, 506 भा0 दं0 सं0 के अन्तर्गत प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। **प्रत्येक** अभियुक्त की ओर से रूपये 20,000 का व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं समान धनराशि के **2** प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाय।

(अभिनव श्रीवास्तव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट–प्रथम,
सीतापुर।
(J.O. Code: UP-2489)

राम रहीस